राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।

क्रमांकः–एफ–4 / मु. / याता / लेखा (   ) / 2020 / 916 दिनांकः–07.10.2020

कार्यालय–आदेश

शासन उप सचिव देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के पत्रांक प2(8) देव / 2020 / जयपुर दिनांक 05.10.2020 के अनुसार देवस्थान विभाग की प्रस्तावित "मोक्ष कलश योजना–2020" का माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निम्नानुसार अनुमोदन किया गया है :–

1. योजना का नामः– मोक्ष कलश योजना –2020, देवस्थान विभाग ।
2. योजना का उद्देश्य व संक्षिप्त विवरणः– वर्तमान में कोविड–19 महामारी के अन्तर्गत परिवहन संसाधनों का संचालन सुचारू रूप से नही हो रहा है और इसके पूर्ववत संचालन होने में समय लगने की सम्भावना है । ऐसी परिस्थितियों में मृत व्यक्ति की अस्थियों के यथा समय गंगाजी में विसर्जन हो सके, इस हेतु उसके परिवार के अधिकतम दो सदस्यों को एक अस्थि कलश के साथ हरिद्वार जाने–आने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क यात्रा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के माध्यम से कराई जानी है ।
3. योजना की क्रियान्वयक एजेन्सीः– राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम होगी जिसका यात्रियों का पंजीकरण, यात्रियों को गंतव्य स्थल तक लाने –ले जाने की व्यवस्था सम्बन्धित कार्यो का दायित्व होगा ।
4. देवस्थान विभाग योजना का वित पोषक विभाग होगा, जिसमे राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा योजना के अन्तर्गत किए गए समस्त व्ययों का पुनर्भरण देवस्थान विभाग द्वारा किया जायेगा ।
5. दिशा–निर्देशः–
   1. योजना की पात्रता :– इस योजना में आयकरदाता एवं सरकारी कर्मचारियों को छोडकर अन्य सभी व्यक्ति लाभान्वित हो सकेगें ।
   2. यात्रियों का पंजीकरण :– राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की वैब साइट www. rsrtc.rajasthan. gov.in. और www.rsrtconline.rajasthan.gov.in. पर ऑन लाईन पंजीकरण दिनांक 8.10. 2020 से किया जा सकेगा ।
   3. मोक्ष कलश यात्रा निःशुल्क होगी । योजना में एक अस्थि कलश के साथ मृतक परिवार के अधिकतम 02 व्यक्ति अनुमत होगे । पंजीयन के समय मृत व्यक्ति का पूर्ण विवरण, मृत्यु दिनांक,यात्रा हेतु परिवार के सदस्यों के नाम, उम्र, लिंग, आधार / जनाधार कार्ड, मोबाईल नम्बर की आवश्यक जानकारी दी जानी अनिवार्य होगी तथा इससे सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रतियॉ अपने साथ रखनी होगी ।
   4. यात्रियों के आने जाने की बुकिंग एक साथ ही होगी एवं उसी वाहन से वापस आना अनिवार्य होगा एवं हरिद्वार में किसी भी परिस्थिति में रूकने की अनुमति नही होगी । इस सम्बन्ध में बाद में किसी भी प्रार्थना पर विचार नही किया जायेगा । पंजीकृत यात्रियों को उनके मोबाईल नम्बर पर यात्रा हेतु सूचित कर आमंत्रित किया जायेगा ।
   5. योजना के अन्तर्गत बसों का संचालन जिला / डिपों मुख्यालयों से किया जायेगा । यात्रियों की सुविधा अनुसार बस स्टेण्ड स्थानों का निर्धारण राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा किया जायेगा ।
   6. सभी यात्रियों को मास्क पहन कर यात्रा करना अनिवार्य होगा । मास्क नही होने पर बस स्टेण्ड / बस के अन्दर प्रवेश नही दिया जायेगा । यात्रियों को यात्रा से पूर्व अच्छे से हैण्डवॉश करने होगे तथा यात्रा के दौरान स्वंय का हैण्ड सेनिटाईजर का प्रयोग करना होगा ।
   7. वाहन में कोई भी यात्री पान, गुटका बीडी एवं सिगरेट का उपयोग नही करेगा तथा ना ही थूकेगा। यात्रियों को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पालना करनी होगी ।
   8. हरिद्वार में अस्थि विसर्जन एवं पूजा पाठ के कार्य के लिए स्वंय आवेदक की जिम्मेदारी होगी ।
   9. एक बस में सोशियल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अधिकतम 23 अस्थि कलश के साथ 46 यात्री जा सकेगे ।
   10. यदि यात्रा के दिन इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार / किंसी भी राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 संक्रमण अथवा अन्य कोई विपरीत परिस्थिति की वजह से यदि कोई अन्यथा निर्णय हो जाता है तो, राज्य सरकार / परिवहन निगम की जिम्मेदारी नही होगी ।
   11. आयकर एवं राजकीय सेवा के सम्बन्ध में यात्री द्वारा गलत सूचना दिये जाने पर किराया राशि के साथ –साथ जुर्माना राशि भी वसूल की जावेगी ।
   12. शेष दिशा–निर्देश कार्यालय आदेश क्रमांक मुख्या / याता / संचालन / 2020 / 316 दिनांक 24.5.2020 के अनुसार यथावत रहेंगे ।

(नवीन जैन)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

क्रमांकः—एफ—4 / मु0 / याता. / लेखा( ) / 2020 / 916 दिनांकः— 7.10.2020

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निजी सचिव,माननीय परिवहन मंत्री ,राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन), परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. प्रमुख शासन सचिव, देवस्थान विभाग,राजस्थान सरकार,जयपुर ।
5. शासन सचिव एवं आयुक्त परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम,मुख्यालय,जयपुर ।
7. उप शासन सचिव, देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को उनके पत्रांक प2(8) देव / 2020 / जयपुर दिनांक 05.10.2020 के क्रम में।
8. समस्त विभागाध्यक्ष ( ) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर ।
9. महा प्रबन्धक / संयुक्त महाप्रबन्धक / उप महा प्रबन्धक / जोनल मैनेजर ( )रा प नि मुख्या.जयपुर।
10. उप महा प्रबन्धक(सांख्यिकी) / (आई.टी.) राज0 परि0 निगम, मुख्यालय, जयपुर उक्त के सम्बन्ध में Computer programme में आवश्यक संशोधन करने एवं इस आदेश को निगम बेवसाईट पर भी उपलब्ध करावें ।
11. कार्यकारी प्रबन्धक ( ) / निगम सचिव, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर
12. कार्यकारी प्रबन्धक(जन—सम्पर्क) राजस्थान परिवहन निगम,मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त के सम्बंध में आवश्यक प्रचार—प्रसार करावें ।
13. . समस्त मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान परिवहन निगम ....

(लोकेश कुमार सहल)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)